

**RTI Matter/**  
**By Speed Post**

**F.No.36/01/2014-R&SO (Part-II)**

Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(FFR Division)

NDCC-II Building, Jai Singh Road,  
New Delhi, dated the 11<sup>th</sup> August, 2014

To

Shri Santosh Kumar  
S/o Late Shri Jagdish Chand,  
R/o At/Q House No.534, Ward No.1,  
Gopi Colony, Faridabad, Haryana.

Subject:- Application seeking information under RTI Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 09.07.2014 on the above mentioned subject received through RTI Cell, Ministry of Home Affairs vide OM dated 17.07.2014 and to furnish the point-wise information as under :-

(1) :-

The Settlement Office (Rehabilitation Wing) was under the then erstwhile Ministry of Rehabilitation.


(2) & (3) :-

Section 16 of the said Act, empowers and competent the Central Government to take appropriate measures as it considered necessary or expedient for the custody, management and disposal of the compensation pool in order that it may be effectively utilized in accordance with the provisions of the Act. Under the provision, the work relating to administration, management and disposal of pool properties along with record were transferred to the State Government of Haryana vide letter No.2(4)/Spl.Cell/69 dated 8<sup>th</sup> April, 1970 (copy enclosed).

2. The Appellate Authority in this office is Joint Secretary (FFR), Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.

Encl: as above

Yours faithfully,



(Shyam Sunder)


Deputy Secretary & CPIO

Cont....2/-

Copy to :

- (i) Shri S. Samanta, Under Secretary, MHA, North Block, New Delhi  
w.r.t. OM No.A-43020/01/2014-RTI dated 17.07.2014
- ✓ (ii) Section Officer, IT Cell, MHA, North Block New Delhi for  
uploading in MHA website. Copy of RTI application dated  
09.07.2014 is enclosed.

Encl : As above.

  
(Shyam Sunder)  
Deputy Secretary & CPIO

सं. ए-43026/01/2014 भाग दो आवे

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक : 17/07/2014

व्यक्तिगत ज्ञापन

12/11/165/12500/14  
21/7/14

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/शुद्ध हिंदोष  
कुमार का आवेदन।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/शुद्ध हिंदोष कुमार के दिनांक: 09/07/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक: 09/07/2014 को प्राप्त) का कृ. लघु. अ. र. प्रभाग को अग्रपिठ करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के विद्याकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रपिठ/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक न 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक: 09/07/2014 की रकम सं. 2949 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)। ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी.पी.एल. श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

सुशान्त

( एच. एच. )

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

व्यक्तिगत (पुनर्का)

उप प्रधान

एन.डी.ए.ए. जयश्रीदेविस  
म.स. भवन

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/शुद्ध हिंदोष कुमार  
S/O श्री/श्रीमती/शुद्ध

पता - 535, लाईन-1, गंगा काली

(उत्तर अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।) करोड़बाद, 10/11-152) रा.क. (ए.डी.ओ.)

UP/2

US/R

SD(R.ESU)

21/7/14

प्रेषक: श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री जगदीश चन्द  
गं.नं. 534, वाई.नं. गोपी कालोन्नी  
फरीदाबाद जि. फरीदाबाद (हरियाणा)  
Contact No 9911260567 दि. 09-07-2014

प्राप्तिका: CPIO जन सूचना अधिकारी  
श्रीमान अपर- सचिव  
ग्रह मन्त्रालय भारत सरकार  
चार्षी ब्लॉक नई दिल्ली -

10/-  
विषय: आर.टी.आई. ऐक्ट 2005 के तहत  
सेटलमेंट ऐक्ट्स गवर्नमेंट भारत सरकार  
(पुनर्वास शरवा व करैडियन डिपार्टमेंट)  
का कार्य 1951 से 1964 में क्लेम से व  
जिलाम से की गई प्रार्थना (चालत व सही)  
का आदेश व सैल सर्टिफिकेट जारी किया गया  
रिकार्ड डेबक्स जं. 73 मौजा पलवल तं. पलवल  
जि. गुडगांव पंजाब (रोहतक, करनाल -  
जालन्धार) क्लेम फाइल number No P/26-1/127  
टीका राम व सन्दीप लक्ष्मी अलाटमेंट, निलाम  
बोधराज पुत्र तोता राम चिड़ी जं. 11221 ब. कुरस्ती  
आदेश इंजलकाल नं. 404 व जारी किया गया  
सैल सर्टिफिकेट 1964 जालन्धार के कमीशनरों  
व प्रशासन के रिकार्ड के बारे में बिजुओं  
के द्वारा जानकारी समय के अनुसार दें।

FFR Dim.

P.T.O 2

...

श्री माज अफर- सचिव महोदय भारत सरकार सूह-  
 मन्त्रालय सूह- दिल्ली को जानकारी करा रहा  
 हूँ कि आपके पहले की सूह आर.टी.आई.व  
 उप-सचिव भारत सरकार सूह मन्त्रालय (FFRD)  
 M.D.C.C. इन्फो-मेशन (जय सिंह रोड सूह दिल्ली  
 जो जो जानकारी दी व रिकार्ड सचिव हरियाणा  
 व पंजाब सरकार को Transfer होने के बारे  
 में लिखा है व जो letter भी दिया है जिससे  
 रिकार्ड का पता नहीं चल सकता जो रिकार्ड  
 प्रेषक को चाहिए जो उस समय उपरोक्त सरकार  
 जो सही व गलत रिकार्ड तैयार किया जिस कारण  
 इस खसरा नं. 2103 रकबा 0-2वी. का आगडा  
 प्रेषक के पिता श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री हुकम चन्द ने  
 अलाटी टीका राम से 1969 में यह नं. 2103 खसरी  
 लिया था जो सन् 1969 से पहले, उपरोक्त सरकार  
 के कमीशनरों व प्रशासन ने अपने अधिकार दि.  
 डा-7-1957 को दुरुस्त कर दिया व जिसका  
 अमल रीविज्यू रिकार्ड माला गहलसा पलवल में  
 हो चुका था लेकिन प्रशासन ने सिल सर्टिफिकेट  
 जारी करने से पहले इस खसरा नं. 2103 रकबा  
 0-2वी. को 1964 में बिना दुरुस्त किए दे दिया  
 गया जो मैं पिता इस गलती को नहीं  
 जान पाएँ जो प्रेषक को इस बात का पता  
 चला तो जब से हरियाणा सरकार व पंजाब

पंजाब सरकार के अधिकारियों से आर.टी.आई के द्वारा रिकार्ड की जानकारी मांगी गई जो उन्होंने स्टेटकोर इन्फॉर्मेशन अधीनकार हरियाणा व पंजाब को चुनौती देकर रिकार्ड हमारे पास जा रहे हैं।

श्री मान अमर सचिव गैरवायवीय अफेयर्स निर्देश पर उप-सचिव श्याम सुन्दर जी ने जो जानकारी दी है वो अधूरी है कृपया उनके बिन्दुओं के द्वारा और उपरोक्त सरकार के बारे में लिखें -

1. <sup>विन्दु सं.</sup> सेंट्रल सेक्टर गवर्नमेंट - भारत सरकार (पुनर्वास-शारदा व अस्टोडियन डि.) का कार्यकाल 1951 से 1970) किस मन्त्रालय के अधीन था
2. असा. शक्ति व शक्ति मन्त्रालय - भारत सरकार जो उपरोक्त सरकार का रिकार्ड जो 1970 व 1972 में पंजाब हरियाणा व पंजाब सरकार को दिया था जो 1951 से 1970 तक इस मन्त्रालय के अधीन थी था नहीं - अब किसके अधीन है।
3. उपरोक्त सरकार के अधीनकार व प्रशासन से सम्बन्ध रखने का केंद्रता कहां है व किस मन्त्रालय के अधीन है पृष्ठ करें

Samir Kumar

22

गृह मंत्रालय  
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6  
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i))

रसीद / RECEIPT

सं. / No. 23491 दिनांक 20  
श्री/श्रीमती/सुश्री Dated 09-07-2014  
Received From Shri/Smt./Km. Santosh Kumar  
के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ के दिनांक 20  
with Letter No./Reference No. Dated 20  
बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या  
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. ....  
के रूप में रुपये की नकद धनराशि Ten Rupees only  
the sum of Rupees by Cash  
सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।  
on account of fee under Right to Information Act 2005.

अधिकार / Initials

रुपये / Rs. 10/-

पदनाम / Designation